न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 739 सन 2020

अनवान :–

1. श्रीभगवान पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बुधराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. रेखाराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. मोहरादेवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. सन्तोदेवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. पारा देवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. रजोदेवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
6. कमलादेवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
7. विमलादेवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
8. जैतादेवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
9. उर्मिला पुत्री रेखाराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 323/324 की कुल 19.3870हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामजीलाल के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता रामजीलाल पुत्र बस्तीराम का देहानत हो चुका है वादी की माता तीजोदवी का भी देहानत हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है एवं रामजीलाल के पुत्र रेखाराम के वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 पुत्री है इसप्रकार रामजीलाल पुत्र बस्तीराम के जायज व काननुी वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र के पुत्र/पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो रामजीलाल पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात रामजीलाल के नाम से दर्ज भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि हैं।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 वादीगण की बहने/बुआ है एवं रामजीलाल एंव प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रामजीलाल के नाम से दर्ज है वादीगण के पिता रामजीलाल पुत्र बस्तीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है अर्थात रामजीलाल के नाम से दर्ज भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 323/324 की कुल 19.3870हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामजीलाल के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता रामजीलाल पुत्र बरतीराम का देहानत हो चुका है वादी की माता तीजोदवी का भी देहानत हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है एवं रामजीलाल के पुत्र रेखाराम के वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 पुत्री है इसप्रकार रामजीलाल पुत्र बरतीराम के जायज व काननुी वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र के पुत्र/पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो रामजीलाल पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात रामजीलाल के नाम से दर्ज भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि हैं।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 वादीगण की बहने/बुआ है एवं रामजीलाल एंव प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष गें किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी राहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 323/324 की कुल 19.3870हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामजीलाल के नाम सें दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि वादीगण के पिता रामजीलाल पुत्र बरतीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र पुत्रीया वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 है अर्थात रामजीलाल के नाम दर्ज भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में रामजीलाल का मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे साबित है कि रामजीलाल पुत्र बस्तीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो वाद भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही गौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 323/324 की कुल 19.3870हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामजीलाल के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सालग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. श्रीभगवान पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बुधराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. रेखाराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. मोहरादेवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. सन्तोदेवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. पारा देवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. रजोदेवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
6. कमलादेवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
7. विमलादेवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
8. जैतादेवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
9. उर्मिला पुत्री रेखाराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 739 सन 2020 निर्णय दिनांक– 13/11/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 323/324 की कुल 19.3870हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक रामजीलाल के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner